महत्वपूर्ण/निर्देश।

मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवाये

चतुर्थ तल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

पत्रॉकः टीएसी-46/2014 दिनांक :अप्रैल 27,2015

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
जनपदीय पुलिस प्रभारी उ0प्र0।

कृपया अधोहस्ताक्षरी द्वारा जारी समसंख्यक पत्र दिनांकः अगस्त 11, 2014 को इस सीमा तक संशोधित करते हुए आपको अवगत कराया जाता है कि पुलिस अधिनियम 1861 (अधिनियम संख्या 05, 1861) एवं उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर अधिकारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली 2011 के अर्न्तगत उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र लखनऊ में सीधी भर्ती के रिक्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा सम्पादित की गयी लिखित परीक्षा एवं कम्प्यूटर टंकण परीक्षा के पश्चात मई 2014 में जारी परीक्षा परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के पद पर प्रशिक्षणोपरान्त वेतनमान 5200-20200 (ग्रेड वेतन रू0 2400) में पूर्णतया अस्थायी रूप से नियुक्त कर जनपदों में तैनात किया गया है।

(क) अभ्यार्थियों के प्रथम नियुक्ति हेतु आगमन पर सम्बन्धित जनपदों द्वारा निम्न कार्यवाही की जायेगीः-

1. सम्बन्धित अभ्यर्थी/कर्मी के कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के पद पर नियुक्ति पर आगमन/कार्यभार ग्रहण जी0डी0 में अंकित कर एचओबी करा ली जाय। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति जोनल/परिक्षेत्रीय मुख्यालय की गयी है उनकी भी एचओबी जोनल/परिक्षेत्रीय के जनपद मुख्यालय में की जायेगी।
2. सेवा पुस्तिका एवं चरित्र पंजी जनपद स्तर पर तैयार कर उनका रख-रखाव किया जायेगा।
3. कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए की प्रथम नियुक्ति यदि जोन मुख्यालय में हुई है तो वह सम्बन्धित जोन का जोनल कोआर्डिनेटर (Zonal Co-ordinator) यदि परिक्षेत्रीय मुख्यालय में हुयी है तो परिक्षेत्रीय कोआर्डिनेटर (Range Co-ordinator) तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुयी है तो जनपदीय कोआर्डिनेटर (District Co-ordinator) जनपद के सीसीटीएनएस नोडल आफिसर के कार्यालय में सीसीटीएनएस से सम्बन्धित समस्त कार्य करेगा। कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए की सर्किल मुख्यालय के थाने की नियुक्ति के बाद शेष बचे कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए को अन्य थानों पर नियुक्त किया जायेगा।
4. कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए की आमद एवं रवानगी जी0डी0 से ही की जायेगी।

कमशः2/पर

(ख) कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए द्वारा किये जाने वाले कार्य,वर्दी, अवकाश, सेवा शर्ते निम्नानुसार होगें।

1. जोन कार्यालय/परिक्षेत्र कार्यालय/पुलिस कार्यालय/थानों पर नियुक्त किये गये कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए द्वारा सीसीटीएनएस के क्रियान्वयन सम्बन्धी समस्त कार्य व अन्य कम्प्यूटर सम्बन्धी कार्यो का निष्पादन किया जायेगा।
2. कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए की पोस्टिंग जिन कार्यालयों थानों पर हुयी है वे वहां पर मौजूद सभी कम्प्यूटर व उससे सम्बन्धी उपकरणों का सही रख–रखाव सुनिश्चित करायेंगे। यदि कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए द्वारा सम्बन्धित अधिकारी को कम्प्यूटर सम्बन्धी उपकरण की खराबी के सम्बन्ध में संज्ञानित किया जाता है तो उसे कम्प्यूटर अनुरक्षण/ कार्यालय आदि मदों से तत्काल ठीक कराया जाए।
3. सभी कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए प्रशिक्षण के पश्चात मुख्य आरक्षी की वर्दी धारण करेंगे।
4. अन्य पुलिस कर्मियों की भांति इनको भी अवकाश आदि देय होंगे।
5. उक्त कर्मचारियों के विरूद्ध यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच जनपद स्तर पर कराकर इस मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी ताकि, सम्बन्धित कर्मचारी के विरूद्ध उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली 1991 के अर्न्तगत कार्यवाही नियम 14(2) व नियम–14(1) की कार्यवाही की जा सके। कर्मचारी को निलम्बित किया जाना हो तो प्रकरण पुलिस अधीक्षक/सहायक निदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र को प्रेषित किया जाय, जहां पर इस सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।
6. जोनल/ परिक्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर नियुक्त/ सम्बद्ध कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए का गोपनीय बार्षिक मन्तव्य निरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा अंकित किया जाएगा जिसे सम्बन्धित पुलिस महानिरीक्षक, जोन / पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र अथवा पुलिस अधीक्षक/ सहायक निदेशक, उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, लखनऊ से अनुमोदित कराया जाएगा।
7. जनपदीय मुख्यालय पर नियुक्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए का गोपनीय बार्षिक मन्तव्य नोडल अधिकारी सीसीटीएनएस से अंकित कराया जाए तथा सर्किल के थानों / अन्य थानों पर नियुक्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए का गोपनीय वार्षिक मन्तव्य प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्ष से अंकित कराकर नोडल अधिकारी के अवलोकन के फलस्वरूप जनपद में नियुक्त समस्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए की चरित्र पंजिकाऐं पुलिस अधीक्षक/ सहायक निदेशक, उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, लखनऊ को प्रेषित कर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।
8. सर्किल मुख्यालय के थाना पर नियुक्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए से सर्किल मुख्यालय के थाने के अतिरिक्त सर्किल के शेष थानों का पर्यवेक्षण किया जायेगा।
9. कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए से कार्यालय में पेशी, डिस्पैच आदि के कार्य न लिए जायें।
10. कतिपय थानों की यह शिकायत आई है कि थाना प्रभारी द्वारा कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति के उपरान्त पूर्व से कम्प्यूटर पर कार्यरत सीसीटीएनएस प्रशिक्षण प्राप्त पुलिस कार्मिकों को हटा दिया जा रहा है। आप यह सुनिश्चित कर लें कि पूर्व से कम्प्यूटर पर कार्यरत पुलिस कार्मिकों हटाया न जाए और कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए के साथ कम्प्यूटर पर कार्य करने हेतु कम से कम 03 और सीसीटीएनएस प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिकों को नियुक्त किया जाए ताकि सीसीटीएनएस योजना का सफल रूप से संचालन किया जा सके।

क्रमशः3/पर

11. जोनल, परिक्षेत्रीय एवं जनपदीय कोआर्डिनेटर की नियुक्ति पुलिस अधीक्षक/सहायक निदेशक, उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र द्वारा की जायेगी। जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा स्थानान्तरण नहीं किये जायेंगे। यदि जनपदीय कोआर्डिनेटर को बदलने की आवश्यकता हो तो प्रकरण इस मुख्यालय को सन्दर्भित किया जाए।

27/4/15

(आर.के.विश्वकर्मा)
अपर पुलिस महानिदेशक,
तकनीकी सेवायें,उ0प्र0,
लखनऊ।

प्रतिलिपिः– पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

2– पुलिस महानिरीक्षक, समस्त जोन उत्तर प्रदेश।

3– पुलिस उपमहानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

4– पुलिस उप महानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश।

5– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

6– पुलिस अधीक्षक/ सहायक निदेशक, उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, लखनऊ।

7– जनपदीय नोडल अधिकारी सीसीटीएनएस को इस निर्देश के साथ कि उक्त तथ्यों से जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी/ प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्षों को सूचित करें और सीसीटीएनएस से सम्बन्धित कार्य का सम्पादन करायें।

8– प्रभारी वेबसाइट, उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, लखनऊ को साइट पर अपलोड करने हेतु।

निर्गत
दि0 27-4-15